


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल अधिकारी महोदय म0प्र0 ग्वालियर
कैम्प रीवा संभाग रीवा म0प्र0



- 1- अनिल कुमार द्विवेदी
 - 2- अरुण कुमार द्विवेदी
 - 3- विजय कुमार द्विवेदी
 - 4- संजय कुमार द्विवेदी
 - 5- अमित कुमार द्विवेदी
- सभी के पिता स्व0 शेषमणि द्विवेदी

सभी निवासी ग्राम कोलगढ़ पूर्व तहसील रायपुर कर्चु0, वर्तमान तह0 मनगवॉ,
जिला रीवा (म0प्र0)

निगरानीकर्तागण

बनाम्

- रमेश कुमार द्विवेदी तनय राममनोहर दुबे, (मृत)
वरिस:- सुषमा द्विवेदी पत्नी रमेश कुमार द्विवेदी
- 2- मुस0 रामकली बेबा पत्नी राममनोहर दुबे।
 - 3- मुस0 रामजली बेबा मनभरण ,
 - 4- अत्रमुनि प्रसाद पिता मनभरण प्रसाद दुबे
 - 5- संतोष कुमार पिता मनभरण प्रसाद दुबे (मृतक) वारिस
अ- श्रीमती शैलजा द्विवेदी पत्नी स्व0 संतोष द्विवेदी।
ब- प्राची पुत्री स्व0 संतोष द्विवेदी।
द- मानसी पुत्री स्व0 संतोष द्विवेदी।
दोनो जरिये माँ शैलजा द्विवेदी।
 - 6- रावेन्द्र कुमार पिता स्व0 मनभरण प्रसाद दुबे
 - 7- मुस0 कमला देवी पत्नी स्व0 कमला प्रसाद दुबे।
 - 8- राकेश कुंमार दुबे पिता रामनरेश दुबे (मृतक) वारिस
अ- सत्यम द्विवेदी तनय स्व0 राकेश द्विवेदी।
ब- ज्योति द्विवेदी पुत्री स्व0 राकेश द्विवेदी।
 - 9- राजेश कुमार दुबे पिता रामनरेश दुबे,

भा. धी. 0/1 गंगा प्रसाद
द्विवेदी द्वारा
20.4.18

रमेश कुमार द्विवेदी
तनय राममनोहर दुबे
(मृतक) वरिस

(Signature)

(Signature)


280

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

जिला रीवा

प्रकरण क्रमांक. II / निग0 / रीवा / 2018 / 02504

अनिल कुमार द्विवेदी / रमेश कुमार द्विवेदी वगैरः

(1)	(2)
18-12-18-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री गंगा प्रसाद तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 30/निगरानी/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 20.02.18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 16.02.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>